

बाजार की अनदेखी: जब अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से लाभ की बजाय नुकसान होता है।

04

अध्याय

क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्।
क्षणं नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्॥

लोगों को प्रत्येक पल विद्ययार्जन का प्रयास करना चाहिए? इसी प्रकार लोगों को संसार के प्रत्येक कण से अर्जन करना चाहिए। यदि आप एक पल भी नष्ट करते हैं, तो ज्ञानार्जन नहीं कर सकते हैं। और यदि आप एक कण भी गंवाते हैं। तो आप धन का अर्जन नहीं कर सकते हैं।?

यद्यपि सरकारी हस्तक्षेप नेक इरादों से किया जाता है प्रायः सम्पदा का सृजन करते समय बाजारों की क्षमता को कम करके आंका जाता है और परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है। इस अध्याय में विगत समय अर्थात् एनाक्रोनोटिक सरकार के हस्तक्षेप के चार उदाहरणों का विश्लेषण किया गया है, हालांकि ऐसे और कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रथम आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत वस्तुओं पर कुल स्टॉक सीमा पर लगातार और अप्रत्याशित प्रतिबंध से न तो कीमतों में कमी आती है और न ही मूल्य अस्थिरता को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इस तरह के हस्तक्षेप से लाभ प्राप्त करने और उत्पीड़न जैसे कृत्य को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2019 में प्याज पर स्टॉक सीमा लागू करने से थोक और खुदरा कीमतों में स्थिरता आने की बजाय अस्थिरता बढ़ गई थी, जो कि कीमतों में ढील देने के अपने उद्देश्य के विपरीत था।

दूसरा, डीपीसीओ 2013 के माध्यम से दवाओं की कीमतों के विनियमन के जरिए विनियमित फार्मास्युटिकल दवा (कॉम्बीफ्लैम) के मूल्य में, तुलनात्मक रूप से जो दवाएं विनियमित नहीं हैं, वृद्धि की गई है (आई एन ए सी)। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि कीमतों में वृद्धि का मूल कारण तुलनात्मक रूप से खर्चीले निरूपण का सहारा लेना था और खुदरा दुकानों के बजाय अस्पतालों में बेची गई थीं, इससे इस बात को बल मिलता है कि परिणाम डीपीसीओ के उद्देश्य के विपरीत है, जबकि डीपीसीओ का उद्देश्य दवाओं को सस्ती दरों पर आम लोगों को उपलब्ध कराना है।

तीसरा, सरकार खाद्यान्न बाजार में सरकारी संग्रहकर्ता के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जिसके फलस्वरूप इन बाजारों में प्रतिस्पर्धा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके फलस्वरूप एफ सी आई में बफर स्टॉक के अतिप्रवाह होने से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जगह की भी कमी पड़ गई, सब्सिडी का बोझ बढ़ गया है, और अनाज की मांग और आपूर्ति के बीच सामंजस्य नहीं। होने के कारण फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है।

चौथा, राज्यों/केंद्र द्वारा की गई कर्जमाफी के विश्लेषण से पता चलता है कि पूर्ण लाभप्राप्त करने वाले लोग कम उपभोग करते हैं, कम बचत करते हैं, कम निवेश करते हैं और कर्जमाफी के बाद आंशिक लाभार्थियों की तुलना में कम उत्पादक होते हैं। आंशिक लाभार्थियों की तुलना में पूर्ण लाभार्थियों के लिए औपचारिक ऋण की हिस्सेदारी घट जाती है, जिससे किसानों को प्रदान की गई कर्ज माफी का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अध्याय में निवेश और विकास को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों के कामकाज को सहज बनाने हेतु एक केस के रूप में अध्ययन किया गया है


अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार में प्रत्येक विभाग और मंत्रालय को व्यवस्थित ढंग से उन क्षेत्रों की जांच करनी होगी जहां सरकार अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करती है और बाजार

को नजर अंदाज करती हैं ध्यान दें कि अध्याय यह तर्क नहीं करता कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बल्कि विभिन्न आर्थिक व्यवस्था में जो हस्तक्षेप उचित थे उन्होंने परिवर्तित अर्थव्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता खो दी है। अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के ऐसे उदाहरणों को दूर करने से प्रतिस्पर्धी बाजार को सक्षम बनाएगा और जिसके चलते निवेश और आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहन मिलेगा।

4.1 यद्यपि भारत ने फर्मों और अपने नागरिकों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी इसे दुनिया की जर्जर (जकड़ी हुई) अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता वैश्विक सूचकांकों में, भारत निचले आधे

स्थान पर आता है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा लाए गए आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा लाए गए वैश्विक आर्थिक सूचकांक द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता को लोगों द्वारा आर्थिक सम्मान और संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने में अपनी पसंद की

चित्र 1: भारत में सापेक्ष वैश्विक आर्थिक




स्रोत: आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक 2019 <http://www.heritage.org/index/> पर देखा जा सकता है।

स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की आर्थिक आजादी के रूप में मापा जाता है। वर्ष 2019 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 186 देशों के बीच 5.5 अंकों/स्कोर के साथ 129वें स्थान पर अर्थात् नीचे के 30% देशों में “अधिकांश अस्वतंत्र/अन-‘फ्री’” के रूप में वर्गीकृत किया गया था (चित्र-1)। “निवेश स्वतंत्रता” से संबंधित घटक में, जो आंतरिक रूप से और देश की सीमाओं के पास पूंजी निवेश के सुगम प्रवाह को मापता है, भारत, 0-100 (दमित) के पैमाने पर 58.5 विश्व औसत की तुलना में मात्र 40.0 अंक/स्कोर करता है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में भी, भारत 162 देशों में से व्यापार विनियमन में 108वें स्थान पर होते हुए 79वें स्थान पर है।


4.2 आर्थिक स्वतंत्रता, उद्यमशीलता संसाधनों के कुशल आवंटन और उत्पादक गतिविधियों के लिए ऊर्जा को सक्षम करके धन सृजन को बढ़ाती है, जिससे आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है। यह देशों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ आर्थिक स्वतंत्रता के दो संदर्भित सूचकांकों में रैंकों के निकट सहसंबंध के रूप में अभिव्यक्त होता है। (चित्र-2) आर्थिक स्वतंत्रता में निम्न रैंक से यह स्पष्ट होता है कि भारत आने वाले नागरिकों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को झकझोर कर धन सृजन के अवसर प्रदान करता है। चित्र 3-7 में क्रमशः नए व्यापार/व्यवसायों के पंजीकरण की संख्या के साथ आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक के क्षेत्र-पार सहसंबंध, व्यापार करने में आसानी से संकेतकों/सूचकों, किसी देश में लागू पेटेंटों की संख्या

चित्र 2: आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का प्रति व्यक्ति सकल प्राथमिक घाटा (जी डी पी) से परस्पर संबंध



स्रोत: <https://www.heritage.org/undex> पर निर्धारित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक और <https://www.fraserinstitute.org/> पर निर्धारित वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक


चित्र 3: आई ई एफ से नए व्यवसाय पंजीकरण के घनत्व से परस्पर संबंध नए व्यवसाय का घनत्व (2018)



आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (2019)


टिप्पणी: नए व्यवसाय में प्रवेश से संबंधित घनत्व को प्रति 1000 कार्य करने वाले व्यक्ति (15-64 वर्ष की आयु के व्यक्ति) हाल ही में पंजीकृत निगमों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। माप यूनिट, प्राइवेट, सीमित देयता वाली औपचारिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं।

चित्र 4: आर्थिक स्वतंत्रता का व्यापार करने की सुगमता से परस्पर संबंध




आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सहसंबंध 2019

चित्र 5: आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक का आवेदन किए गए पेटेंट तथा अनुदत्त पेटेंट के साथ सहसंबंध



स्रोत: एन.बी.ई.आर. डाटा तथा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
<https://www.heritage.org/index> पर उपलब्ध है।

चित्र 6: आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का नवाचार सूचकांक के साथ संबंध



स्रोत: विश्व मौद्रिक संपदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) डाटाबेस तथा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक <https://www.heritage.org/index> पर उपलब्ध है।

तथा नवाचार सूचकांक में दर्शाया है इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता, धन सृजन के कई पहलुओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

4.3 आवश्यक वस्तु अधिनियम हालांकि बाजार में अव्यवस्था पैदा कर कृषि बाजारों के कार्यक्षम विकास को प्रभावित करता है (चित्र 8) चूंकि कृषि मौसमी आधारित कार्यकलाप है, इसलिए वर्ष भर स्थिर कीमतों पर उत्पाद की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गैर-मौसम के लिए उत्पाद का भंडारण आवश्यक है। अतएव, उत्पादक समुदाय फसल के मौसम में इन्वेंटरी तैयार करने तथा मंदी के मौसम में इन्वेंटरी को बाजार में उतारने की अवधि के मध्य की अवधि में व्यापार ठप पड़ जाने की स्थिति का सामना करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम स्टॉक सीमा के बारंबार तथा अप्रत्याशित अधिरोपण के कारण मालगोदाम और भंडारण सुविधाओं में निवेश को हतोत्साहित करते हुए इस प्रणाली में हस्तक्षेप करता है। चूंकि स्टॉकहोल्डिंग सीमा संपूर्ण कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होता है, जिसमें थोक विक्रेता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा खुदरा खाद्य श्रृंखला शामिल

हैं, यह अधिनियम अपने प्रचालनों की प्रवृत्ति वाले स्टॉक को अपने पास रखने की वास्तविक आवश्यकता वाले फर्मों तथा स्टॉक को अपने पास संचित रखने वाले संभावित फर्मों के मध्य भेद नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यह अधिशेष क्षेत्रों से उच्च मांग वाले बाजारों में मुक्त व्यापार की प्रभावकारिता तथा वस्तुओं के प्रवाह में कमी लाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम वस्तु व्युत्पत्ति बाजार को भी प्रभावित करता है, क्योंकि व्यापारी स्टॉक सीमा के कारण विनिमय मंच निर्धारित यात्रा को प्रदान करने के समर्थ नहीं भी हो सकते हैं। यह अधिनियम कृषि विपणन, के क्षेत्र में अनिश्चिता में वृद्धि करके तथा निजी क्षेत्र के बड़े प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश को हतोत्साहित करके बाजार में यह अव्यवस्था आगे कृषि वस्तुओं की कीमत अस्थिरता को बढ़ा देती है, जो कि इसके उद्देश्य के विपरीत है।

4.4 जैसा कि हम इस अध्याय में देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां सरकार बाजार विफलता जोखिम न होने के बावजूद हस्तक्षेप करती है और वास्तव में कुछ उदाहरणों में इसके

बॉक्स 1: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आवश्यक मानी जाने वाले कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित करने तथा उनके मध्य व्यापार और वाजिज्य हेतु अधिनियम किया गया। यह अधिनियम अपने आप में नियमों और विनियमों की व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि डीलर को लाइसेंस प्रदान करने, स्टॉक सीमा को निर्धारित करने, वस्तुओं के संचलन को सीमित करने तथा उद्ग्रहण प्रणाली के तहत अनिवार्य खरीद की आवश्यकताओं के संबंध में नियंत्रण आदेश जारी करने हेतु राज्यों को अनुमति प्रदान करता है। यह अधिनियम ज़ब्त किए गए स्टॉक को अधिहरित करने; लाइसेंस को निलंबित/निरस्त करने, यदि कोई है तथा दंड यथा कारावास आरोपित करने हेतु कार्रवाई की व्यवस्था की प्रदान करता है। यह अधिनियम मूल्य निर्धारण की शक्ति भी प्रदान करता है, और किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य सीमा से अधिक दाम पर बेचना दंड का कारण बनेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकांश शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस निर्देश के साथ प्रत्यायोजित किया गया है कि वे इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों का निस्पादन करेंगे।

इस अधिनियम में शामिल वस्तु समूह निम्नलिखित है

- (i) पेट्रोलियम और इसके उत्पाद जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नाफ्था, विलायक द्रव आदि शामिल है।
- (ii) खाद्य सामग्री जिसमें खाद्य तेल एवं बीज, वनस्पति, दलहन, गन्ना और इसके उत्पाद जैसे खांडसारी तथा चीनी, धान की फसल आदि शामिल हैं
- (iii) कच्चा जूट तथा जूट टेक्सटाइल
- (iv) दवाएं-आवश्यक दवाओं की कीमतें आज भी डीपीसीको द्वारा नियंत्रित की जाती हैं
- (v) उर्वरक-उर्वरक नियंत्रण आदेश उर्वरक की कीमतों के अलावा इसके अंतरण और स्टॉक पर प्रतिबंध का निर्धारण करता है।
- (vi) प्याज और आलू
- (vii) खाद्य फसलों, फलों और सब्जियों के बीज, पशुओं का चारा, जूट के बीज और कॉटन के बीज

हस्तक्षेप से बाजार विफलता की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा कुछ हद तक स्वतंत्र आर्थिक नीतियों के बाद की वैधता के कारण हो सकता है। परन्तु चूँकि बाजार की भूमिका को पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है अतः स्वाभाविक रूप से शीघ्र धन अर्जन के लिए बाजारों को कार्य करने की अनुमति दी गई है ताकि आर्थिक विकास हो।


आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई सी ए), 1955

4.5 आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई सी ए), 1955 के अनुसार सब्सिडी, दलहन, खाद्य तेल, चीनी इत्यादि जैसे कुछ खाद्य सामग्रियों में जिसे आवश्यक वस्तुएं मानी जाती हैं, का उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण एवं व्यापार एवं वाणिज्य द्वारा किया जाता है। अधिनियम के अधीन उपबंधों को कार्यान्वित करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्यों को किया गया है। इन आवश्यक वस्तुओं में से किसी एक का मूल्य बढ़ने पर स्टॉक रखने की सीमा के संबंध में विनिमय लागू हो सकता है, माल का आवागमन प्रतिबंधित हो सकता है और वसूली की प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य खरीद अधिदेश लागू हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप सभी उत्पाद से संबंधित थोक विक्रेताओं, एवं खुदरा व्यापारियों द्वारा अपनी इनवेंटरी कम की जानी चाहिए ताकि वस्तु

रखने की सीमा का अनुपालन हो सके, इस अधिनियम का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगा के गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुएं सस्ती दर पर मुहैया सुनिश्चित करना है। यह कृषि विपणन एवं उत्पादन विनियमन का अतिरिक्त विधान है।

4.6 इसीए तथापि बाजार विरूपणों के द्वारा कृषि बाजारों के प्रभावशाली विकास को प्रभावित करता है (चित्र 7)। चूँकि कृषि एक मौसमी गतिविधि है अतः पुरे वर्ष उत्पाद की सततः कीमतों पर आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु गैर मौसमी दिनों हेतु उत्पाद का भंडारण आवश्यक है। यही कारण है कि उत्पादक बुआई के मौसम में इन्वेन्टरी तैयार करने और गैर-कृषि मौसम में इन्वेन्टरी से उत्पाद निकालने के बीच एक बुनियादी ट्रेड ऑफ का सामना करते हैं। इसीए भंडारण सीमाओं के लगातार और अप्रत्याशित दबाव के कारण वेअरहाउसिंग और भंडारण सुविधाओं में निवेशों को प्रोत्साहन न देकर इस कार्यपद्धति में हस्तक्षेप करता है। क्योंकि स्टॉक-हॉल्डिंग सीमाएं थोक विक्री कर्ताओं खाद्य श्रृंखलाओं सहित संपूर्ण कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होती है। अतः इस अधिनियम के तहत ऐसे फर्मों जिन्हें कि अपने प्रचालनों की प्रकृति के अनुरूप भंडारण रखना होता है और ऐसी फर्म जोकि अनुमान


चित्र 7: इसीए के कारण कृषि बाजार संकुचन



के आधार पर भंडारण करती है के बीच अन्तर नहीं रखा जाता। इसके अतिरिक्त ये निशुल्क कारोबार की प्रभावशीलता और अधिकता वाले क्षेत्रों से उच्च मांग वाले बाजारों तक उत्पादों के प्रवाह को कम करता है। इसलिए वस्तु व्युत्पन्न बाजारों को भी प्रभावित करता है क्योंकि व्यापारी भंडारण सीमाओं के कारण वांछित गुणवत्ता अनुरूप लेनदेन के क्रम में वस्तु उपलब्ध न करा सके। यह अधिनियम अनिश्चिता को बढ़ाकर और कृषि बाजारों में बड़े निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के प्रवेश को हतोत्साहित करके बाजारों कुरूप बनाते है। बाजारों का इस प्रकार से सकुंचन आगे और कृषि उत्पादों की कीमत अस्थिरता को बढ़ाता है जोकि इसकी मंशा के विपरित है।


4.7 यह बाजार विरूपण प्रभाव अनेक अनुभवों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने में स्टॉक सीमा की प्रभाव शून्यता किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष समय अवधि तक सीमित नहीं है। नीचे दी गई आकृति से 'दालों' और चीनी के मूल्यों के मानक अतिक्रम को दर्शाती है जिन पर क्रमशः 2006 तीसरी तिमाही और 2009-पहली छमाही में स्टॉक सीमाओं को अधिसूचित किया गया था। इन सीमाओं की आरोपण के दो से तीन वर्षों के बाद भी मूल्यों में अस्थिरता की रोकथाम में सीमित सफलता मिली (आकृति 8क और आकृति 8ख देखें)।

आकृति 8क: ईसीए के तहत स्टॉक सीमा के 2006-तीसरी तिमाही में लगाए जाने के बाद भी दाल के खुदरा मूल्य में अस्थिरता



स्रोत्र: उपभोगता मामला विभाग से उपलब्ध डॉटा से संगणित

आकृति 8ख ईसीए के तहत 2009-पहली तिमाही में स्टॉक सीमा लगाने के बाद भी चीनी के खुदरा मूल्यों में अस्थिरता



स्रोत्र: उपभोगता मामला विभाग से उपलब्ध डॉटा से संगणित


4.8 प्याज के मूल्यों में वृद्धि सहित दाल का अनुभव समान घटना का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत में प्याज की फसल की कटाई करने के तीन मौसम हैं अर्थात खरीफ (अक्टूबर-दिसंबर), बिलंबित खरीफ (जनवरी-मार्च) और रबी (मार्च-मई)। वर्ष में लगभग मई से सितंबर तक की अवधि होती है जब प्याज की मांग को व्यापारियों/थोक विक्रेताओं द्वारा जमा किए गए स्टॉक से पूरा किया जाता है। अगस्त-सितंबर 2019 में भारी बारिश के परिणामस्वरूप प्याज की खरीफ फसल

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे बाजार में कम आवक हुई और प्याज की कीमतों पर ऊपरी दबाव पड़ा। यह खरीफ फसल आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि तक और बाजार के विलंबित खरीफ फसल से नई प्याज के आने तक मांग को पूरा करती है। लगातार बढ़ती प्याज की कीमतों को देखते हुए, देश भर में 29 सितंबर 2019 को ईसीए के तहत स्टॉक सीमाएं निध रित की गई थीं (खुरदा व्यापारियों के लिए 100 क्विंटल और थोक व्यापारियों के लिए 500 क्विंटल की सीमा

तय की गई थी जिन्हें नाप में क्रमशः 20 क्विंटल और 250 क्विंटल तक कम किया गया था। स्टॉक सीमाएं इस लिए लगाई गई थीं ताकि बाजार में स्टॉक जारी करते हुए प्याज के बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण रखा जा सके और व्यापारियों द्वारा जमा खोरी को रोकते जुए बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके। यद्यपि स्टॉक सीमा के निर्धारण का सितंबर 2009 के बाद प्याज के थोक

और खुदरा मूल्यों की अस्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा (आकृति 8ग)। कम स्टॉक सीमाओं के कारण ही व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के अक्टूबर में ही अधिकतर खरीफ फसल को ऑफलोड कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप नवंबर, 2019 के अस्थिरता में तेजी से वृद्धि हुई। खुदरा मूल्यों में आस्थिरता इसे थोक मूल्य में प्रकट करती है।

आकृति 8ग: ईसीए के तहत स्टॉक सीमा निर्धारण के बाद भी 2019 में प्याज के थोक और खुदरा मूल्यों में अस्थिरता




स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) से उपलब्ध आंकड़ों से परिकल्पित

टिप्पणी: प्याज और आलू दोनों ईसीए के तहत शामिल हैं परंतु स्टॉक सीमा 29 सितंबर 2019 से प्याज पर निर्धारित की गई थी, आलू पर नहीं। 2019 and not on potato

4.9 स्टॉक सीमा निर्धारण का यह प्रभाव दालों और प्याज के थोक और खुदरा मूल्यों के बीच ग्राफ के रूझान से भरी उजागर होता है। आकृति 9क और 9ख)/ प्याज के मामले में नवंबर 2019 से ग्राफ में तेज वृद्धि दर्शाई गई है चूंकि अधिकतर खरीफ फसल, जो पहले ही कम थी, को अक्टूबर में ही बाजार में निकालना पड़ा। ईसीए के माध्यम से सरकार के नदारद हस्तक्षेप से व्यापारी अपनी फसल के कुछ भाग का भंडारण कर लेते ताकि पूरे वर्ष में स्थिर मूल्यों पर उत्पाद की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। थोक और

खुदरा मूल्यों के बीच बढ़ता ग्राफ इस बात को सुदृढ़ करता है कि ईसीए उपभोक्ताओं का कल्याण कम करता है। दीधीवयि में यह कृत्म भंडारण संरचना के विकास को हतोत्साहित करता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन/उपभोग झटकों के बाद मूल्यों में आस्थिरता बढ़ती है—जिसका उलट होना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न समयावधिन केवल प्याज या चीनी जहां जमाखोरी की अक्सर शैका होती है—के साक्ष्य बताते हैं कि ईसीए की प्रभावहीनता का कारण सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप हैं जो बाजारों को कम आंकते हैं।


आकृति 9क: ईसीए लागू करने के बाद भी चना दाल के खुरदा और थोक मूल्यों के बीच बढ़ता



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) से उपलब्ध आंकड़ों से परिकलित।

टिप्पण: चावल और दालों दोनों ईसीए के तहत शामिल हैं, और दालों पर स्टॉक सीमा 28 अगस्त 2006 के लगाई गई थी। चावल पर भी इस चार्ट में ली गई अवधि के अंत में 2008 में भी स्टॉक सीमा निधारित की गई थी।


आंकड़े 9 ख: म्ब लागू किए जाने के बाद भी 2019 में प्याज के खुदरा और थोक मूल्यों के बीच बढ़ता ग्राफ




स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग से उपलब्ध आंकड़ों से परिकलित।

टिप्पण: प्याज और आलू दो म्ब के तहत शामिल है परंतु स्टॉक सीमाएं 29 सितंबर 2019 से प्याज पर लागू की गई हैं न कि आलू पर।

चित्र 10क: खुदरा एवं प्याज के मूल्यों के बीच फर्क ईसीए के तहत किए गए छापों के सहसंबंध



चित्र 10ख: खुदरा और थोक प्याज के मूल्यों की अस्थिरता सहित इसीए के तहत किए गए छापों का सहसंबंध




स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग से लिए गए समेकीत आंकड़े

4.10 ईसीए को उस समय लागू किया गया जबकि अनैतिक जमाखोरी एवं कालाबाजारी एक जोखिम होता था क्योंकि कृषि बाजार विखंडित थे और परिवहन अवसंरचना पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। परन्तु अधिनियम में अनैतिक जमाखोरी को दंडित करने के साथ-साथ अत्यधिक वांछनीय सुचारू ढंग से उपभोग करने को भी दंडित किया गया है जिसका

प्रावधान भंडारण के माध्यम से किया जाता है। भारत में कृषि बाजारों के निरंतर और अधिक एकीकृत एवं प्रतिस्पर्धी बनने के साथ इस अधिनियम की उपयोगिता संदिग्ध हो गई है और यह खाद्यान्न के लिए एकीकृत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय बाजार के विकास के साथ असंगत हो गया है।

चित्र 11: प्याज के खुदरा एवं थोक मूल्यों के बीच वेज के साथ अभियोजन का सह संबंध



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) से उपलब्ध आंकड़ों से संकलित

4.11 हमारा विश्लेषण यह दर्शाता है कि जो राज्य अनिवार्य वस्तुओं के प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उन राज्यों में खुदरा एवं थोक मूल्यों के बीच पकड़े जाने की संभावना (छापों से अभियोजन के अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित) एवं वेज के बीच एक नकारात्मक संबंध है। इससे पता चलता है कि ईसीए केवल तभी प्रभावी होता है जबकि इसका निष्पादन (चित्र 11) उपयुक्त तरीके से किया जाए। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दाष सिद्धि की दर बहुत ही कम है जोकि औसतन 2-4 है। दिनांक 16.12.2019 को उपलब्ध आंकड़ों, जोकि उद्यतन है, के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान ईसीए के अंतर्गत कुल 76,033 छापे मारे गए थे जिसमें केवल 2941 व्यक्ति दोषी ठहराए गए थे जोकि मारे गए कुल छापों का मात्र 3.8 प्रतिशत था। यह निर्दिष्ट करता है कि ईसीए के अंतर्गत मारे गए छापों के कारण केवल व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ जो कि किसी दी गई मद के विपणन में व्यापार की भूमिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

4.12 प्याज, आलू एवं दालों जैसी महत्वपूर्ण कृषि मदों के मूल्य की अस्थिरता को विनियमित करने में सहायता करने के लिए वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण निधि

(पीएसएफ) की स्थापना के साथ शुरूआत की गई थी। इसको मूल्य अस्थिरता को संतुलित करने के लिए और जमाखोरी तथा अनैतिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए उत्तरवर्ती अंशाकित निर्गम के लिए उपयुक्त मदों का युक्तिपूर्ण बफर बनाए रखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसको और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि यह बाजार शक्तियों को उनके साथ प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा परिपूरित करता है जोकि ईसीए करता है।

4.13 ईसीए को उस समय लागू किया गया जबकि अनैतिक जमाखोरी एवं कालाबाजारी एक जोखिम होता था क्योंकि कृषि बाजार विखंडित थे और परिवहन अवसंरचना पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। परन्तु अधिनियम में अनैतिक जमाखोरी को दंडित करने के साथ-साथ अत्यधिक वांछनीय सुचारू ढंग से उपभोग करने को भी दंडित किया गया है जिसका प्रावधान भंडारण के माध्यम से किया जाता है। भारत में कृषि बाजारों के निरंतर और अधिक एकीकृत एवं प्रतिस्पर्धी बनने के साथ इस अधिनियम की उपयोगिता संदिग्ध हो गई है और यह खाद्यान्न के लिए एकीकृत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय बाजार के विकास के साथ असंगत हो गया है। ईसीए के जमाखोरी रोधी प्रावधान स्टाक होल्डिंग,

भंडारण क्षमताओं, व्यापार एवं आगे ले जाने की स्थितियों की खुली रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करते हैं। देश में उपलब्ध कुल निजी भंडारण क्षमता के समेकित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जोकि नीति निर्माताओं को मूल्यों पर किसी भी उत्पादन आघात के प्रभाव का आकलन करने में सक्षम बनाएगा। भंडारण की आधुनिक विधियों में और बाजार आसूचना में निवेश को हतोत्साहित करने के अतिरिक्त, ट्रेडों से संबंधित जानकारी के अभाव में बाजार प्रतिभागियों के लिए भविष्य के लिए सटीक पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। कमोडिटी वायदा बाजारों के विकास का समर्थन करने से बाजार के संभावित भावी मूल्यों की प्रभावी खोज में सहायता मिलेगी जोकि निजी भंडारण के लिए बेहतर आधार प्रदान कर सकती है और मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बच सकती है। प्रभावी पूर्वानुमान प्रणाली का विकास, स्थिर व्यापार नीतियां एवं कृषि बाजारों का बढ़ता हुआ एकीकरण कृषि बाजारों के मूल्यों के स्थिरीकरण के प्रयोजन को सरकार द्वारा ईसीए के माध्यम से अध्यारोपित आदेश की अपेक्षा अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है।

ईसीए के अंतर्गत औषधि मूल्य नियंत्रण


4.14 आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने और निर्धन परिवारों को गरीब होने से बचाने के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए प्रायः सरकार औषधियों के लिए मूल्य नियंत्रण का आश्रय लेती है। भारत में, सरकार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधि करण (एनपीपीए) एवं औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के माध्यम से औषधियों के मूल्यों को नियमित करने के लिए मूल्यों के नियंत्रण पर महत्वपूर्ण ढंग से निर्भर होती हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) वह सूची होती है जिनको भारत के स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य एवं उच्च प्राथमिकता का माना जाता है। यह जनसंख्या में रोगों की व्यापकता, औषधियों की सुरक्षा एवं प्रभाविकता तथा मौजूदा वहनीयता जैसे पहलुओं पर आधारित है। ईसीए की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा डीपीसीओ जारी किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनईएलएम के अंतर्गत सूचीबद्ध औषधियां आम जनता का उचित मूल्य पर उपलब्ध हों।

4.15 आवश्यक औषधियों के संबंध में डीपीसीओ के प्रभाव की जांच सावधानीपूर्वक करने के लिए हम निम्नलिखित तुलना करते हैं। ग्लाइकोमेट (मेटफॉर्मिन) और ग्लिमप्रेक्स-एमएफ (ग्लिमनपेराइट + मेटफॉर्मिन) दोनों पर विचार कीजिए जिनका प्रयोग उच्च ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ग्लाइकोमेट, डी पी सी ओ, 2013 में मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया। ग्लिमप्रेक्स-एमएफ इसके अंतर्गत नहीं लाया गया। इसलिए, ग्लाइकोमेट की तुलना में ग्लिमप्रेक्स-एमएफ के लिए उपयोग की गई मात्रा का मूल्य में परिवर्तन से पहले और बाद के परिवर्तन की है। इस श्रेणी में मांग और पूर्ति जैसे सभी गड़बड़ी फैलाने वाले कारकों के प्रभाव कही तुलना की है। इसलिए, इस तुलना में डी पी सी ओ आदेश के शुद्ध प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। चित्र 12 में दर्शाया गया है कि डी पी सी ओ, 2013 के बाद ग्लाइकोमेट की तुलना में ग्लिमप्रेक्स-एमएफ के मूल्य में अधिक वृद्धि हुई। तथापि, उपभोग की गई सामग्री पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो औषधियों के आवश्यक वस्तु होने के कारण स्थिर बना हुआ है क्योंकि मांग मूल्य में परिवर्तन के प्रति परिवर्तनशील या असंवेदनशील नहीं है।

4.16 हमारे आकलन भी दर्शाते हैं कि डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत आने वाली ड्रग्स की कीमतों में सक्रिय घटकों के प्रति मिली ग्राम 71 रुपये की औसत वृद्धि हुई है। डी पी सी ओ, 2013 द्वारा गैर-प्रभावित ड्रग्स की कीमतों में सक्रिय घटकों के प्रति मिली ग्राम 13 रुपये की वृद्धि हुई है। प्राक्कलनों में अंतर-दर-अंतर सक्रिया घटकों की कीमतों में प्रति मिली ग्राम 58 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5 प्रतिशत की दर पर सांख्यिकी तौर पर महत्वपूर्ण था (चित्र 13) प्रमात्राओं में डिफरेंस इन डिफरेंस सांख्यिकीय रूप में शून्य से अप्रभेद्य था।

4.17 आवश्यक वस्तु अधिनियम का हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत स्टॉक सीमाओं और कीमत नियंत्रण से उप इष्टतम परिणाम प्राप्त होते हैं, जो वस्तुतः अधिनियम में की गई अनिवार्यता के प्रतिकूल होते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत बाजारों के कार्य निष्पादन में बाधा पहुँचाई जाती है और उन कार्यों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो संपत्ति सृजन के लिए हानिकारक होते हैं और उसके द्वारा सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त करके

चित्र 12: ग्लाइकोमेट (नियमित) बनाम ग्लिमप्रेक्स-एमएफ (अनियमित) के मूल्यों पर डीपीसीओ 2013 का प्रभाव



स्रोत: आईएमएस स्वास्थ्य, सर्वे गणना

बाक्स 2: औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ)




औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी एक आदेश है जिसमें औषधियों के मूल्य को विनियमित किया जाता है। डीपीसीओ अन्य वस्तुओं के साथ-साथ उन औषधियों की सूची को विनिर्दिष्ट करता है जोकि मूल्य सीमा और अधिकतम मूल्य की गणना के फार्मूला के अंतर्गत आती है। अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) उन औषधियों की सूची है जो मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए डीपीसीओ, 2013 में 27 उपचारात्मक समूहों में 680 अनुसूचित औषधि निरूपण हैं जिनको मूल्य विनियमित है।

राष्ट्रीय औषधालय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) औषधालय उत्पादों के मूल्य, में संशोधन और डी पी सी ओ के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार ने डी पी सी ओ में अनेक बार संशोधन किए हैं। और हाल में वर्ष 2013 में संशोधन किया है। वर्ष 2013 तक डीपीसीओ ने लागत आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रयोग कर मूल्य की अधिकतम सीमा के विनिर्दिष्ट किया जिसमें अधिकतम मूल्य की गणना लागत के उस गुणक के रूप में की जाती थी जो उत्पादक द्वारा औषधि के प्रोत्साहन और वित्तीय में खर्च होता था। यह गुणक, जिसे अधिकतम अनुदेश पश्च-विनिर्माण व्यय (एमएपीई) कहा जाता था, भारत में आयात किए जाने वाले फार्मुलेशनों के लिए 50 प्रतिशत पर और स्वदेशी रूप में विनिर्मित फार्मुलेशनों के लिए 100 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2013 में भारत ने पहली लागत आधारित मूल्य निर्धारण के स्थान पर बाजार आधारित मूल्य निर्धारण को अपनाया। बाजार आधारित मूल्य निर्धारण में सरकार वह मूल्य का निर्धारण उस अधिकतम मूल्य के रूप में करती है जिसे खुदरा विक्रेता संदर्भ मूल्य पर प्रभारित कर सकता है। जो आई एम एस हैल्थ नामक बाजार अनुसंधान फर्म द्वारा उपलब्ध करवाएं गए बाजार आंकड़ों पर आधारित 01 प्रतिशत या इससे अधिक शेर वाले सभी ब्रांडों के मूल्यों का साधारण औसत होता है। इस आदेश ने एनएलईएम में विनिर्दिष्ट सभी फार्मुलेशनों के 16 प्रतिशत तक अधिकतम मूल्य का निर्धारण किया।

बाक्स 3: डिफरेंस-इन-डिफरेंस की कार्यप्रणाली वर्णन

डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डीआईडी) एक सांख्यिकीय तकनीक होती है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट पहल या उपचार (जैसे विधि की सतत प्रक्रिया, पालिसी का अधिनियमन, या बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन) के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक दो अवधियों के बीच की जनसंख्या की तुलना में करती है जो विशिष्ट हस्तक्षेप (उपचार समूह) और जनसंख्या जो विशिष्ट हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं (नियंत्रण समूह) होती है द्वारा प्रभावित की जाती है।



स्रोत: सर्वे गणना

टिप्पणी: 1751 फारमूलेशन निमेकित का आंकड़ा और 49893 बाँडों को आईएमएस स्वास्थ्य को प्रयोग किया गया


औसतों की गणना उन सभी दवाइयों पर किया गई है जोकि डीपीसीओ 2013 द्वारा अप्रभावित थी पृथक रूप से 2013 से पूर्व और 2013 के बाद की अवधि हेतु

उसके स्थान पर कीमत स्थिरीकरण निधियों, ग्राहकों की सहायता करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), नवाचारों के लिए प्रोत्साहनों, बाजार एकीकरण में वृद्धि करने और माल एवं सेवाओं के निर्वाहा प्रवाह जैसे बाजार

अनुकूल मध्यसीता के अधिनियम का लाया जाना चाहिए।

4.18 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत वर्ष 1965

चित्र 13: अस्पतालो बनाम खुदरा बाजारों पर बेचे जा रहे दवाईयो के मूल्यों के पर डीपीसीओ, 2013 के प्रभाव




स्रोत: सर्वे गणना

में की गई थी जिसका मुख्य कार्य खाद्यान्नों और अन्य खाद्य सामग्रियों की खरीद करना, उनका भंडारण करना, लाना-ले जाना/ढुलाई, सवितरण करना और उनकी बिक्री करना था। भारतीय खाद्य निगम के मुख्य उद्देश्य (क) किसानों से सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) पर खाद्यान्नों का प्रापण करना; (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का वितरण करना, विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए वहनीय कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण करना विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए वहनीय कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण करना;

और (ग) खाद्य सुरक्षा और कीमत स्थिरता के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव करना हैं। इस प्रकार से, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के समान हितों को सुरक्षित रखने की आवश्यक व्यवस्था की गई है।

4.19 इस अधिदेश के बाद, सरकार खाद्यान्नों की एकल सबसे बड़ी प्राप्त और भंडारण के रूप में उभरी है। सरकार चावल और गेहूं की बाजार आधिक्य कुल 40-50 प्रतिशत मात्रा की खरीद करने से इन खाद्यान्नों की प्रबल खरीददार के रूप में उभर रही है (चित्र 16) । पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में, सरकार द्व

चित्र 15: मूल्यों पर जीपीसीओ 2013 को प्रभाव, प्रतिशत में (कीमतों की)



स्रोत: सर्वे गणना

रा खरीद का यह अनुपात 80-90 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है (चित्र 16)। वर्ष 2018-19 में 44.4 मिलियन टन चावल और 34 मिलियन टन गेहूं का कीर्तिमान प्रापण किया गया था। इस प्रकार से चावल और गेहूं के सकल सबसे बड़े क्रेता के रूप में, सरकार घरेलू अनाज मंडल में वस्तुतः एक मात्र खरीदकर्ता है और निजी व्यापार की भीड़ को समाप्त करने वाले एक प्रबल निवेशक है। यह इन वस्तुओं के प्रापण भंडारण और प्रक्रमण में दीर्घकालिक निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करता है।

खाद्यान्न बाजारों (मंडियों) में सरकारी हस्तक्षेप

4.20 भारत के खाद्यान्न बाजारों (मंडियों) में, सरकार ने उत्पादकों के लिए पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और वहनीय कीमतों पर आपूर्तियों उपलब्ध कराके उपभोक्ताओं के हित के रक्षोपाय करते समय खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश की है। इसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करने में, राज्य उर्वरक, जल और विद्युत आदि जैसी मदों की इनपुट कीमतों की नियंत्रण करता है, आउटपुट कीमतें नियत करता है, प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से भंडारण और प्रापण करता है, और समग्र देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का संवितरण करता है।


4.21 भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत वर्ष 1965 में की गई थी जिसका मुख्य कार्य खाद्यान्नों और अन्य खाद्य सामग्रियों की खरीद करना, उनका भंडारण करना, लाना-ले जाना/हुलाई, संवितरण करना और उनकी बिक्री करना था। भारतीय खाद्य निगम के मुख्य उद्देश्य (क) किसानों से सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) पर खाद्यान्नों का प्रापण करना; (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का वितरण करना, विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए वहनीय कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण करना; और (ग) खाद्य सुरक्षा और कीमत स्थिरता के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव करना है। इस प्रकार से, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के समान हितों को सुरक्षित रखने की आवश्यक व्यवस्था की गई है।

4.22 इस अध्यादेश के बाद, सरकार खाद्यान्नों की एकल सबसे बड़ी प्राप्त और भंडारक के रूप में उभरी है। सरकार चावल और गेहूं की बाजार आधिक्य कुल 40-50 प्रतिशत मात्रा की खरीद करने से इन खाद्यान्नों की प्रबल खरीददार के रूप में उभर रही है (चित्र 16)। पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में, सरकार द्वारा खरीद का यह अनुपात 80-90% के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है (चित्र 16)। वर्ष 2018-19 में 44.4 मिलियन टन चावल और 34 मिलियन टन गेहूं का कीर्तिमान प्रापण किया गया था। इस प्रकार से चावल और गेहूं के सकल सबसे बड़े क्रेता के रूप में, सरकार घरेलू अनाज मंडी में वस्तुतः एक मात्र खरीदकर्ता है और निजी व्यापार की भीड़ को समाप्त करने वाल एक प्रबल निवेशक है। यह इन वस्तुओं के प्रापण भंडारण और प्रक्रमण में दीर्घकालिक निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करता है।

4.23 ये प्रापण कार्रवाइयां न्यूनतम समर्थन मूल्य की बड़े पैमाने पर सहायता करती हैं जो बुआई सत्र के आरंभ में उत्पादकों के लिए सांकेतिक कीमतों और न्यूनतम कीमतों में किसी गिरावट से किसानों के लिए एक बीमा तंत्र के रूप में अभिकल्पित होती है। तथापि, इन कीमतों में दीर्घकालिक वृद्धि के रूझान ने किसानों को ऐसी फसलों का चयन करने का संकेत देने का कार्य किया है जिनमें एक सुनिश्चित प्रापण प्रणाली होती है चित्र 17 स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनके उत्पान को सरकार द्वारा मुक्त सिरे के प्रापण सुविधा में परिवर्तित करता है। यह यह भी दर्शाता है कि बाजार मूल्य किसानों के लिए कोई पारितोषक विकल्प प्रदान नहीं करते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य वस्तुतः न्यूनतम कीमत की बजाय अधिकतम मूल्य हो जाते हैं—जो कि इसे निर्दिष्ट उद्देश्य के प्रतिकूल है।


4.24 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत पिछली और वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत दिए गए दायित्वों के मद्देनजर जिसमें सब्सिडी के खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी आती है, सरकार भी चावल एवं गेहूं की सबसे बड़ी एकल संचयकर्ता के रूप में उभरती है। चावल और गेहूं

चित्र 16: सरकार-चावल और गेहू का एकल सबसे बड़ा प्रापक




स्रोत: भारतीय खाद्य निगम डी ए सी एफ एवं डब्ल्यू

चित्र 17: उच्चतर प्रापणों के कारक बढ़ते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य



गेहू

चावल




स्रोत: डीएकीएफएवं डब्ल्यू एवं डीएफपीडी

के 41.1 मिलियन टन बफर स्टॉक (प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार) की तुलना में, 1 जुलाई, 2019 को कुल केंद्रीय पूल स्टॉक 74.3 मिलियन टन थे (चित्र 18) मौजूदा शिखर स्टॉक में गेहू की 45.8

मिलियन टन मात्रा (27.58 मिलियन टन के बफर मानक की तुलना में) और चावल की 28.4 मिलियन टन मात्रा (13.5) मिलियन टन के बफर मानक की तुलना में) शामिल है।

चित्र 18: भारतीय खाद्य निगम में बफर स्टॉक में रूझान



स्रोत: भारतीय खाद्य निगम


टिप्पणी: स्टॉक और मानक वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार है।

4.25 इस तथ्य को मानते हुए कि खाद्यान्नों के अर्जन, भंडारण और वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत प्रापण कीमत से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है, सुनिश्चित प्रापण (न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर), भंडारण (खरीदकर्ता प्रशासनिक सरकारी संगठन के माध्यम से) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण की मौजूदा मिश्रित नीतियों ने उच्च लागत खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के सृजन में योगदान किया है। चित्र 19 दर्शाता है कि भारतीय खाद्य निगम की अक्षमता (आर्थिक लागत एक्सल विवरण लागत और औसत थोक कीमतों के मध्य वैज द्वारा आकलित) स्टॉकों के बढ़ते हुए स्तर के साथ साथ बढ़ती है। यह प्रमाणित है कि यदि खाद्यान्नों के बाजार सरकार के साथ साथ निजी निवेशकों की समान निवेशकों के रूप में (न क प्रापण में एकल खरीदकर्ता और भंडारण एवं वितरण में एकाधिकारी के रूप में) भागीदारी के रूप में खोले जाते हैं, तो इस प्रतिस्पर्धा के कारण प्रचालनों में

दक्षता बढ़ेगी और भंडारण एवं मालगोदामों में भंडारण में पर्याप्त अवसंरचना विकसित होगी।


4.26 इन नीतियों के कारण खाद्य सब्सिडी, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के अधिप्राप्ति की लागत (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन न्यूनतम समर्थन मूल्य और केंद्रीय निर्गम मूल्य के बीच का अंतर) और भारतीय खाद्य निगम के वितरण और माल दुलाई की लागत शामिल है, का बोझ बढ़ गया है। राजकोषीय सीमाओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सब्सिडी के माध्यम से धन आवंटित करने और निवेश बढ़ाने के बीच हमेशा समझौताकारी समन्वयन (ट्रेड ऑफ) होता है। चित्र 20 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कृषि में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि नकारात्मक रूप से खाद्य सब्सिडी परिव्यय में वृद्धि से संबंधित है। चूंकि उत्पादकता में वृद्धि के लिए निवेश महत्वपूर्ण इनपुट है, इसलिए सब्सिडी पर बढ़ता फोकस दीर्घ कालिक रूप में कृषि क्षेत्र की वृद्धि को नुकसान पहुंच रहा है। भारतीय

चित्र 19: भारतीय खाद्य निगम की (गेंहू के लिए) बढ़ती हुई दक्षता।



स्रोत: एफसीआई, डीसीए के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण

चित्र 20: खाद्य सब्सिडी के परिव्यय और कृषि में सार्वजनिक निवेश के बीच प्रतिकूल संबंध



स्रोत: संघीय बजटदस्तावेज से संकलित, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में डाटा

कृषि में सतत विकास और समग्र समावेशी विकास के लिए सब्सिडी और निवेश के बीच के इस असंतुलन को तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है।


4.27 उपभोक्ता व्यय और अनाजों की मांग के रूझानों के साथ उपर्युक्त रूझानों का सन्निधान किए जाने की जरूरत है। उपभोक्ता व्यय पर एनएसएस के 73वें दौरे प्रदर्शित होता है कि मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) में अनाजों के हिस्से में वर्ष 2004-05 से

2011-12 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 33 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में लगभग 28 प्रतिशत तक की गिरावट और शहरी क्षेत्र में लगभग 28 प्रतिशत की गिरावट हुई है (अद्यतन उपलब्ध प्राक्कलन)। साथ ही एमपीसीई स्तर में वृद्धि होने से अनाजों की हिस्सेदारी में निरंतर गिरावट हुई है जो ग्रामीण भारत की निचली दशमक श्रेणी के संबंध में लगभग 19 प्रतिशत से शीर्ष दशमक श्रेणी के लगभग 5-6 प्रतिशत पर तथा शहरी भारत की निचली दशमक श्रेणी के संबंध में 15 प्रतिशत से

शीर्ष दशमक श्रेणी के 3 प्रतिशत से भी नीचे आ गया। यह आय में वृद्धि के फलस्वरूप खाद्य उपयोग में गिरावट और गैर-खाद्य मदों पर व्यय में वृद्धि के अनुरूप है। चित्र 21 में यह दर्शाया गया है कि चावल और गेहूं के उत्पादन में नए रिकॉर्ड कायम होने के बावजूद उपभोक्ता व्यय में अनाजों की हिस्सेदारी में किस प्रकार से कमी आई है। अनाजों की गिरती मांग और अनाजों की बढ़ती आपूर्ति की यह प्रवृत्ति

दर्शाती है कि उत्पादन की पद्धति मांग की पद्धतियों के अनुरूप नहीं है। किसान अपने लिए संकेत, मांग के पैटर्नों (वास्तविक बाजार कीमतों में परिलक्षित) से नहीं बल्कि अनाजों के प्रापण एवं वितरण के विषय में सरकार की नीतियों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, सरकार के हस्तक्षेप से खाद्यान्न बाजारों के अनाजों की मांग एवं आपूर्ति के बीच के संबंध के कमजोर होने के संकेत मिलते हैं।

चित्र 21: भारत में खाद्यान्नों (अनाजों) के उपभोग एवं उत्पादन संबंधी रुझान



स्रोत:डीएसीएफ एवं डब्ल्यू तथा एनएसएस 68वां दौर

टिप्पणी: अनाजों के अंतर्गत चावल, गेहूं और मोटे अनाज शामिल हैं जिनमें कुल अनाज उत्पादन में चावल और गेहूं का भाग 80 प्रतिशत है। उपभोग संबंधी उपलब्धा आंकड़े केवल वर्ष 2011-12 तक के हैं।

4.28 उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रमाणित है कि एफसीआई की स्थापना से लेकर आज तक के बीच खाद्यान्न (अनाज) के संदर्भ में उल्लेखनीय बदलाव होते गए हैं। उत्पादन के मामले में ठोस वृद्धि के साथ भारत एक खाद्यान्न अभाव वाले देश के स्तर से ऊपर उठकर एक खाद्यान्न अधिशेष वाला देश बन गया है और अनाजों के एक विशुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। सुनिश्चित खरीद और वितरण की सरकारी नीतियों ने उस समय उत्पादन बढ़ाने के लिए सही प्रोत्साहन दिया। हालांकि, वर्तमान खाद्यान्न अर्थव्यवस्था उपर्युक्त विभिन्न आर्थिक अक्षमताओं से त्रस्त है। इसलिए, इन नीतियों को अब विविधीकरण और पर्यावरणीय रूप से स्थायी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आगे ले जाने की आवश्यकता है।

4.29 किसानों को ऐसी प्रत्यक्ष निवेश सब्सिडी और नकद हस्तांतरण के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जो फसल तटस्थ/क्रॉप-न्यूट्रल हैं और किसान के फसल संबंधी निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कवरेज को निचले 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए तथा अन्य के निर्गम मूल्य को खरीद मूल्यों/दरों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आय हस्तांतरण करना एक बेहतर विकल्प होगा। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खाद्य असुरक्षा और गरीबी की समस्याओं से निपटने और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर (बॉक्स 4) के प्रति लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सशर्त नकद हस्तांतरण (सीसीटी) की दिशा में एक कदम

है। इसलिए खाद्यान्न नीति को गतिशील बनाने और खाद्यान्नों के वितरण और नकदी हस्तांतरण/खाद्य कूपन/स्मार्ट कार्ड से वितरण की अनुमति देने की आवश्यकता है। वृहद स्तर पर, कृषि विपणन, व्यापार (घरेलू और

विदेशी दोनों) और वितरण नीतियों को संरेखित करने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को विविधीकरण और स्थायी उत्पादन में विविधीकरण के लिए सही संकेत प्राप्त हों।

बॉक्स 4: सफल सशर्त नकदी हस्तांतरण योजनाओं के उदाहरण

देश	वर्ष	साधन/तौर-तरीके	प्रभाव
ब्राजील: बोलसा फमिलिया	2003	<ul style="list-style-type: none"> • 25 प्रतिशत आबादी को कवर करता है। • +60 से कम आय स्तर वाले पात्र लाभार्थी • अंतरण का आकार-आर + 15-95 • डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बैंकों, लॉटरी कार्यालयों, फुटकर दुकानों/रीटेल स्टोर्स के माध्यम से भुगतान करें। • शर्तें-न्यूनतम 85 प्रतिशत उपस्थिति तथा महिलाओं व बालकों के लिए स्वास्थ्य जांच में अनिवार्य तौर पर भाग लेना। • योजना की लागत-जीडीपी का 0.5 प्रतिशत 	<ul style="list-style-type: none"> • 80% लाभ, अभिज्ञात लाभार्थियों को पहुंचे। • भोजन की कमी वाले घरों में गिरावट। • कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी। • भोजन की खपत में वृद्धि। • 60% से अधिक लेनदेन गैर-बैंक एजेंसी के माध्यम से किए गए।
मेक्सिको: अपोर्चुनीडेड्स फिलीपींस:	1997	<ul style="list-style-type: none"> • भौगोलिक दृष्टि से गरीब क्षेत्रों पर फोकस/इन क्षेत्रों के हाशिए पर सूचकांक को उपयोग करते हुए घरों की पहचान की गई • कुल 20 प्रतिशत को कवर करता है • योजना की लागत - ढक्क का 0.4 प्रतिशत • हस्तांतरण का आकार 235 पीसो(औसत) • भुगतान दो महीनों में किया गया • बैंक शाखाओं और प्राधिकृत गैर-वित्तीय एजेंसियों से लाभ वापिस लिए जा सकते हैं। • शर्तें--न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 प्रतिशत लाभ आबादी के 20 प्रतिशत सबसे गरीब को मिले • रुग्णता की घटना में 12 प्रतिशत कमी • स्कूलों में बच्चों के दाखिलों में वृद्धि और स्कूल छोड़ने की दर में कमी • संभावना में वृद्धि कि महिलाएं तय करेंगी कि लाभ को कैसे खर्च किया जाए।
फिलीपींस: पैंटाविड पामिलयांग पिलीपीनो प्रोग्राम	2007	<ul style="list-style-type: none"> • कुल 20 प्रतिशत आबादी कवर करता है • लाभार्थियों की पहचान घरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से की गई • योजना की लागत ढक्क का 0.5 प्रतिशत • शर्तें - न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, मासिक सामुदाय आधारित परिवार विकास सत्रों में भागीदारी 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 मिलियन फिलीपीनो लाभान्वित • कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 1.4 प्रतिशत गरीबी में गिरावट आई • CCT से वर्तमान में 10.18 मिलियन बच्चे लाभ ले रहे हैं • 4 पी घरों में मदिरापान में तेजी से गिरावट आई (वाइस पर खर्च 39 प्रतिशत कम हुआ)।

स्रोत: वर्ल्ड बैंक एफ ए क्यू (2017), ICRIER (2017)


ऋण माफियां

4.30 साख बाजारों में पूर्ण या आंशिक शर्त सहित या बगैर शर्त सहित रूप में सरकारी गतिविधि, ऋण राहत भारत में राज्य स्तर पर आम बनाता जा रहा है। चुनाव से ठीक पूर्व या बाद में किसानों के ऋण माफ करने की परंपरा जो कि चुनाव घोषणपत्र में किए वायदे को पूरा करना से जुड़ा था नब्बे के शुरूआत में समाप्त हो चुका। हालांकि ये दृश्य 2008 में संघ सरकार द्वारा घोषित बृहर-स्तर के कृषि ऋण माफी के बाद ज्यादा व्यापक हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और अन्य जैसे राज्यों में ऋण माफी की घोषणा हुई। चित्र 22 में इन माफियों के स्तर को राज्य/केंद्रीय बजटों के अनुपात अनुरूप दर्शाया गया है। भारत में कृषि ऋण राहत के रूप में सरकारी गतिविधि की प्रबलता का देखते हुए सामान्यतया लाभार्थियों और ऋण बाजार दोनों पर उनके प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है।

4.31 भारतीय साख बाजारों में सरकारी हस्तक्षेप के परिणामों की बहुत से सावधानीपूर्वक रूप से अनुसंधान अध्यायनों (कोज (2016), गिने और कांज (2017), मुखर्जी, सुब्रहमणियन और तंत्री (2018), तंत्री (2018) द्वारा जांच की गई है। साधारण घटना पूर्व और घटना पश्चात् तुलनाओं अथवा विस्तृत रूप से किस्सों पर आधारित दृष्टिकोण की तरह ये अध्ययन वास्तविक परिणामों की तुलना में काउंटर तथ्यात्मक के सावधानीपूर्वक प्रस्तुत प्रतिनिधित्व से करते हैं। अन्य शब्दों में यह तुलना करने का प्रयास है कि एक सरकारी हस्तक्षेप के बाद वास्तव में क्या होता है यदि ऐसे हस्तक्षेप नहीं होते तो क्या हुआ होता जो काउंटर-फैक्टुअल का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इन अध्ययनों द्वारा किए गए अनौपचारिक दावे नीति उद्देश्यों हेतु विश्वसनीय है।

4.32 जब किसानों पर ऋण माफियों के लाभों पर वार्ता करते हैं तो समर्थनकर्ता यह अनुमान लगाते हैं कि उधार लेने वाले “डैब्ट ओवरहैंग” की समस्या

चित्र 22: राज्य/केंद्रीय बजट के प्रतिशत के रूप में ऋण माफी आवंटन



स्रोत: फडनिस और गुप्ता से लिया गया (2018)

से जूझ रहे हैं इसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां सब वर्तमान आय एकत्रित ऋण की पुर्नअदायगी में लग जाता है, जिसमें चाहे तो वास्तविक या मानवीय पूंजी में निवेश हेतु बहुत कम प्रोत्साहन राशियां बचती हैं। ये प्रोत्साहन राशियां मंद पड़ जाती हैं क्योंकि भौतिक अथवा मानीय पूंजी में ऐसे निवेश के किसी बढ़ते लाभ ऋणदाताओं तक विद्यमान बाध्यताओं की पुर्नअदायगी के रूप में पहुंचेगा और न कि किसानों तक। ऐसे उधार लेने वालों को या तो इक्विटी या ऋण के माध्यम से या वित्तीय प्राप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि उधार लेने वाले की अतिरिक्त ऋण पुर्नअदा करने की अथवा उसका/उसकी व्यवसाय/फार्म विकसित करने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। डेब्ट होवरहैंग, अतः लाभकारी निवेश को तजने की ओर अग्रसर होता है और अतः सामाजिक कल्याण में कमी लाता है। इस स्थिति को देखते हुए ऋण राहत के समर्थक यह वहस करते हैं कि एक ऋण माफी उधार लेने वालों को ऋण जाल से बाहर आने में मदद करता है क्योंकि ये उनकी वहीं खाना को स्पष्ट करता है और ऋण सेक के भार को कम करता है। उधारकर्ताओं के बही खाता की सफाई से नए निवेशों के संभावनाएं बढ़ेंगी साथ ही साथ नए निधि बढ़ोत्तरी को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उधारकर्ताओं की पुर्नअदायगी क्षमता तब भी बढ़ेगी यदि आय में कोई बदलाव भी हुआ हो।


4.33 कान्ज (2016) भारत सरकार द्वारा दिए गए 2008 के ऋण माफी की जांच करता है और यह जांच करता है कि क्या इनमें से किसी प्रभाव से वास्तव में कुछ सिद्ध हो पाता है या नहीं। वो इस तथ्य का उदाहरण देते हैं कि जहां उन किसानों को पूरा फायदा हुआ जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि थी वहीं उन्हें कम फायदा पहुंचा जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि थी किसान जिसके पास 1.98 हैक्टेयर भूमि है वो कहीं से भी 2.02 हैक्टेयर भूमि वाले किसानों से अलग नहीं है। तथापि, जिन किसानों के पास 1.98 हैक्टेयर की भूमि है उन्हें पूर्ण राहत मिलती है जबकि 2.02 हैक्टेयर की भूमि प्राप्त करने वाले किसानों को केवल पाक्षित लाभ मिलता है। यदि ऋण राहत से

वास्तव में किसानों को लाभ मिलता है तो पहले किस्म के किसानों को आवश्यक रूप से मदद वाले किसानों से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए था। हालांकि इसके परिणाम ठीक उसके उलट है जिस पर कि ऋण माफी के समर्थक विश्वास करते हैं। माफी के बाद ना तो कृषि निवेश का ही उत्पादकता में बढ़ोत्तरी देखी गई। साथ ही इसका खपत पर भी बहुत थोड़ा ही प्रभाव पड़ा है। अन्य शब्दों में एक उत्प्रेरक जिसकी कीमत जीडीपी का 2 प्रतिशत थी का किसानों के जीवन पर कोई अर्थकारी प्रभाव न छोड़ पाई।

4.34 चित्र 23 में इस परिणामों का सारांश दिया गया है जहां प्रत्येक पैनेल Y-अक्ष पर मुख्य परिणाम पर ऋण माफी के पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। क्षेत्रीय अक्षांश जोतों की दृष्टि से 02 हैक्टेयर के कट-ऑफ से दूरी को दर्शाता है। जिन उधारकर्ताओं की दूरी घनात्मक थी उन्हें पाक्षिक माफी मिली चूंकि उनके पास 2 हैक्टेयर से अधिक की जोत वाली जमीन थी। इसके उलट जिन उधार कर्ताओं की दूरी ऋणात्मक थी उनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि भी और अतः उन्हें पूरी ऋण माफी मिली। चित्र से यह स्पष्ट है कि ऋण माफी से पूर्व लाभार्थियों को पाक्षिक लाभार्थियों से ज्यादा लाभ नहीं मिलता। वास्तव में आंशिक लाभार्थियों से तुलना करने पर पूर्ण माफी लाभार्थी कम खपत करते हैं, कम निवेश करते हैं और माफी के अनुरूप कम उत्पादक हैं। कृषि निवेश और उत्पादकता हेतु प्रभाव सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय है। इसके साथ ही परेशान कर देने वाला साक्ष्य यह है कि जहां पाक्षित लाभार्थियों की तुलना में पूर्ण लाभार्थियों हेतु औपचारिक साख का अंश घटता है और तदनु रूप किसानों को उपलब्ध कराए गए ऋण माफी का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

4.35 ऋण को माफ किए जाने से क्रेडिट मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बोलस्टैन और रोजेंटहाल (2002) का तर्क यह है कि ऋण से माफी देने की बात केवल उसी स्थिति में लाभदायी हो सकती है जब इसे असाधारण परिस्थितियों में दिया जाय और ये परिस्थितियां अप्रत्याशित बनी रहें। ऐसी परिस्थितियों में ऋण को माफ करने से किसान खेती बंद कर देंगे

चित्र 23: ऋण माफी के लाभार्थियों और तुलनात्मक रूप से गैर लाभार्थियों हेतु ऋण माफी के पश्चात् प्राप्त परिणाम



टिप्पणी: प्रत्येक पेनल में क्षैतिज अक्ष भूमि स्वामित्व की दृष्टि में कमी से दूरी को सूचित करता है। ऐसे लेनदार जिनकी दूरी घनात्मक है (ऋणायुक्त) वे पूर्ण रूप से ऋण माफी (आंशिक) लाभार्थी हैं। प्रत्येक चित्र में उर्ध्वाधर अक्ष एक भिन्न परिणाम दर्शाता है।

और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन भी कम हो जाएगा। बहरहाल उनको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऋण को अप्रत्याशित रूप से माफ किए जाने से नैतिक ह्रास होगा और क्रेडिट कल्चर नष्ट हो जाएगी। 2008 के ऋण माफी की स्थिति को देखें तो पता चलेगा कि वही परिणाम अब भी आने वाले हैं। जीने और कांज का यह मानना है कि ऋण माफी दिये जाने से भविष्य में ऋण को वापस न किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और मजदूरी, उत्पादकता या उपभोग में कोई भी सुधार नहीं आएगा। वे सरकार द्वारा 2008 में दी गयी ऋण माफी से प्रभावित जिलों के आधार पर तुलना कर रहे हैं। एक प्रतिशत ऋण की माफी दिये जाने से काम न आने वाली परिसंपत्तियों में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है। इससे भी अधिक कष्ट की बात तो यह है कि ऋण को लेकर जो स्थिति खराब होती है उसका असर अन्य सभी क्षेत्रों पर पड़ता है जिनके आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे होते हैं, और ऋण के माफ किए जाने की स्थिति का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं। बिडम्बना यह भी है कि ऋण को माफ कर दिये जाने से माफी का लाभ लेने वाले को बैंक से ऋण मिलना कम हो गया है। किसी जिले में 1 प्रतिशत ज्यादा ऋण माफ किए जाने से नए ऋण को प्राप्त करने वालों की संख्या में 4-6 प्रतिशत की कमी आ जाती है और कार्यक्रमपरक ऋण की राशि में भी 14-16 प्रतिशत की कमी आई है।


4.36 तंत्री (2008) ने पाया है कि गैर-वित्तीय ऋण में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2010 में किए गए हस्तक्षेप से क्रेडिट मार्केट के अन्य क्षेत्रों जैसे कि बैंक ऋणों पर संक्रामक प्रभाव पड़ा है। अक्टूबर 2010 में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जो कि मुख्यतया छोटे-मोटे कर्जदारों से ऋण वसूली की सभी विधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि व्यष्टिपरक वित्तीय क्षेत्र में ऋण संबंधी अपराध ऐसे हस्तक्षेप के बाद ज्यादा बढ़ गए थे। इस प्रकार के हस्तक्षेप का बैन ऋण पर भी संक्रामक प्रभाव पड़ा था। बैंक ऋणों को अदा न करने और काम न आने वाली परिसंपत्तियों की दर में ऐसे हस्तक्षेप के बाद क्रमशः 12.4 प्रतिशत और 24.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गयी

थी। अंततः, चूंकि, नए ऋण को देने में की स्थिति कम हो कर आधी हो गयी है, सरकार का यह हस्तक्षेप कि छोटे-मोटे कर्जदारों की मदद की जाय कर्जदारों के लिए नुकसानदेह साबित हुई क्योंकि वे क्रेडिट से वंचित हो गए।

4.37 मुखर्जी, सुब्रमण्ययम और तंत्री (2018), जिन्होंने सरकार द्वारा 2008 में दी गयी ऋण माफी की समीक्षा की थी, ने एक और बारीक बिन्दु की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने परेशान और गैर-परेशान दोनों प्रकार के कर्जदारों को दी गयी कर्ज-माफी के प्रभाव का फसल-बीमा के दावे और मौसम संबंधी परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग अध्ययन किया है जिससे कि कर्जदारों की आर्थिक विपन्नता का पता लगाया जा सके। उन्होंने पाया है कि, ऋण की माफी दिये जाने से, जो सच-मुच में संकट-ग्रस्त उनके काम-काज में 9 प्रतिशत का सुधार आया है जबकि जो सच-मुच में संकटग्रस्त नहीं थे उनका ऋण माफ किए जाने के कारण उनके काम-काज में 23 प्रतिशत की खराबी आई है। पहचान परक रणनीति के आधार पर ह्रास के समापन का पता लगाने के लिए वे ऋण माफी की पात्रता की कट-आफ तारीख 31 दिसंबर 2007 को मानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना काफी महत्वपूर्ण है कि, लाभानुभोगियों के बारे में निर्णय लेने की कट-आफ 20 फरवरी 2008 मानी गयी थी, और इसी लिए कर्जदार लोगों को 31 दिसम्बर कि कट-आफ डेट होने के बारे में पता नहीं था।

4.38 दो संकटग्रस्त किसान A और B को लें जिनके बारे में मान लेते हैं कि उन्होंने क्रमशः 30 दिसम्बर 2007 को और 1 जनवरी 2008 को अपने फसल रिन को अदा नहीं किया था। अब 31 दिसंबर 2008 को हम ऋण माफी की कट-आफ डेट मान लेते हैं तो A का ऋण माफ हो जाएगा लेकिन B का ऋण माफ नहीं हो पाएगा। अन्यथा दोनों कर्जदार एक जैसे ही होते। इस अध्ययन से पता चलता है कि ऋण माफ किए जाने से कर्जदार A ने ऋण का उपयोग अच्छा किया है। अब दो गैर-संकटग्रस्त किसानों C और D पर विचार करते हैं, जिन्होंने क्रमशः 30 दिसम्बर 2007 और 1 जनवरी

चित्र 24: संकटग्रस्त और गैर-संकटग्रस्त लेनदारों पर ऋण माफी का प्रभाव



स्रोत: मुखर्जी, सुब्रमणियन और तन्त्री (2018) से लिया गया।

2008 को अपने फसल-ऋण का भुगतान करने में चूक की थी।

4.39 चित्र 24 इस अध्याय का मुख्य परिणाम दर्शाता है। सामान्तर एक्सिस माफी की कट-ऑफ पात्रता से दूरी को डिनोट करता है। वर्टिकल

एक्सिस दोष दर को डिनोट करता है। पैनल ए (बी) हताश (गैर हताश) ऋण लेने वालों के परिणाम को दर्शाता है। जो लोग कट-ऑफ के बाईं और (दाईं) और है ऋण माफी के लाभार्थी हैं (गैर लाभार्थी) है। चित्र से यह स्पष्ट होता है

कि हताश (गैर हताशों) के बीच जिन लाभार्थियों का ऋण माफ किया गया है उनकी संख्या कम है (अधिक) है जब उनकी तुलना ऋण माफी के बाद गैर लाभार्थियों से की जाती है। सामांतर एक्सिस माफी की कट-ऑफ पात्रा से दूरी को डिनोट करता है। वर्टिकल एक्सिस कृषि फसल ऋण पर दोष दर को डिनोट करता है चित्र ए यह दर्शाता है कि हताश ऋण माफी लाभार्थियों से 9 प्रतिशत कम है जब इनकी तुलना गैर लाभार्थियों से की जाए। चित्र बी यह दर्शाता है कि गैर हताश लाभार्थी दोषी गैर हताश गैर लाभार्थियों की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है।

4.40 उपर्युक्त अध्ययन से पता चलता है कि बिना शर्त और अंधाधुंध ऋण-माफी देना एक गलत बात है। इससे लाभानुभोगियों को कोई सार्थक लाभ नहीं मिलता है और राजकोष पर बहुत भार भी पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, ऋण-माफी से पूरी क्रेडिट कल्चर खराब होती है और इससे उनके जैसे अन्य किसानों को ऋण नहीं मिल पाता है जिनको इसकी मदद की जरूरत होती है। जैसाकि मुखर्जी, सुब्रमण्यम और तान्त्री (2018) और बोल्सटन तथा रोजेंटहाल ने पाया है, सच-मुच संकट की अवस्था में सीमित राहल प्रदान की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहे शब्दों में कहे तो ऋण-माफी को आपातकालिक दावा के रूप से दिया जा सकता है वो भी एकाध मामलों में और रोग की पहचान किए जाने के बाद। इसे योजना के भोजन की तरह नहीं दिया जाना चाहिए।

क्योंकि अधिकांश मामलों में इसके दुष्प्रभाव तथा अवांछनीय परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे केवल अल्पकालिक लाभ ही दिखाई देता है।

सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपेक्षित विधायी बदलाव-

4.41 उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि, भारत अभी भी तरह-तरह के हस्तक्षेप के बीच फंसा पड़ा है जिसका आज कि अर्थव्यवस्था से कोई ताल-मेल नहीं है। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में आधिपत्य और नियंत्रण कारी अर्थव्यवस्था के मार्ग से हट कर बाजार निर्भर अर्थव्यवस्था में बादल गया है। सारणी 1 से ऐसा कई क्षेत्रों के बारे में पता चलता है जैसे विशोषकर, औद्योगिक उदारीकरण, राज्य के स्वामित्व वाले कई उपक्रमों का निजीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर नियंत्रण में कटौती।

4.42 बहरहाल, जैसाकि पिछले भागों में प्रकाश डाला गया है, कई क्षेत्रों में गैरतजरूरी और अकुशल सरकारी हस्तक्षेप बना हुआ है। सारणी 2 में कुछ अधिनियमों को दिया गया है, जो कि शुरूआती दौर पर बहुत नीचे लटके फफल की तरह थे, जिनकी उपयोगिता अब समाप्त हो गयी है और उनाकू समाप्त किए जाने की जरूरत है जैसा कि 1990 के दशक में किया गया था या उनमें संशोधन किया गया था ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

सारणी 1 “नियंत्रण” से लेकर “बाजार” तक “संपूर्ण चक्र” को पूरा करना

अधिनियम	बाजार में की गई विकृति	बाजार अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में बदलाव
पूँजी संबंधी मुद्दा (नियंत्रण) अधिनियम, 1947	सरकार ने यह तय किया कि कौन सी कंपनी कितनी पूँजी उठा सकती है धनराशि और शेरों के मूल्य पर नियंत्रण रखने के कारण अप्रभावी मूल्यांकन हुआ।	पूँजीगत बाजारों के विनियामक के रूप में भारतीय प्रतिभूमि एवं विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 द्वारा रद्द एवं प्रतिस्थापित करना। सेबी ने मूल्य वापसी प्रतिभूतियों के अभिशासन सुनिश्चित करने, पूँजी का कुशल संग्रहण एवं आर्बटन करने निवेशकों के हित की रक्षा करने, अत्यधिक धन सृजन को उदार बनाने के लिए पूँजीगत बाजार को रास्ते पर लाया। (अध्याय 1 में यथा उल्लिखित)
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) अधिनियम, 1959	ओएनजीसी का गठन पेट्रोलियम संसाधनों के विकास के लिए योजना बनाने, उस प्रोत्साहित करने, कार्यक्रम आयोजित करने एवं कार्यान्वित करने के लिए अधिदेश के साथ किया गया था।	4 सितम्बर, 1993 को इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और ओएनजीसी को एक कंपनी में बदल दिया गया। हाइड्रोकार्बन नीति का 1946 में राज्य एकाधिकार से लेकर नामकरण के माध्यम से 1991 में अविनियमन करी शुरूआत तक, नई अन्वेषण लाइसेंस पॉलिसी, 1997 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली एवं लाभ हिस्सेदारी तक, 2014 में गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश तक, 2015 में लघु क्षेत्र नीति अन्वेषण और अंत में 2016 में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं उतपादन तथा राजस्व की हिस्सेदारी के लिए एक समान लाइसेंस तक हुआ।
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों को अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955	गठित कुछ बैंकिंग कंपनियों के उपक्रमों के अधिग्रहण एवं हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए 27 राष्ट्रीयकृत बैंकों का गठन किया गया-निजी क्षेत्र के बैंकों को 1994 के बाद ही अनुमति दी गई।	बैंकों के विलय की घोषणा की गई जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो जाएगी। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एमसमान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र तैयार करने का प्रयास है।
एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार कार्य (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969	एमआरटीपीसी का गठन आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण को रोकने, एकाधिकार को नियंत्रित करने, एकाधिकार कार्यों का निषेध करने, प्रतिबंधक एवं अनुचित कार्यों का निषेध करने के लिए किया गया था। इससे कंपनियों का विकास एवं वैश्विक स्तर प्राप्त करना और छोटी कंपनियों का प्रसार प्रतिबंधित हो गया।	2002 में कंपनी अधिनियम का त्याग करने के लिए रद्द कर दिया गया। कंपनी अधिनियम का लक्ष्य “बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा प्रतिस्पर्धी बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और प्रभुत्व स्थितियों के दुरुपयोग का निषेध करना है। ध्यान “प्रभुत्व के निषेध” से हटकर “प्रभुत्व के दुरुपयोग को विनियमित करने” पर हो गया है।
कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973	सरकार को कोकिंग एवं गैर-कोकिंग कोयला खदानों के प्रबंधन को अपने हाथों में ले लिया क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया।	2018 में रद्द कर दिया गया। निजी कंपनियों को व्यावसायिक कोयला खदान उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। खदानों की नीलामी उस कंपनी को दी जाएगी जो सबसे अधिक प्रति टन मूल्य का प्रस्ताव करेगी। उस कदम से व्यावसायिक खनन पर कोल इंडिया लि. का एकाधिकार समाप्त हो गया।

अधिनियम	बाजार में की गई विकृति	बाजार अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में बदलाव
जीवन बीमा, 1956 का राष्ट्रीयकरण और सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972	एलआईसी एवं जीआईसी का सृजन करने के लिए भारतीय बीमा कंपनियों के शेयरों तथा अन्य मौजूदा बीमा कंपनियों के उद्यमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण के कारण सरकार द्वारा विनिश्चित क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधनों का संग्रहण कम हुआ।	अनेक बार संशोधन किया गया। बीमा क्षेत्र को खोलने के लिए भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, 1999 का अधिनियमन किया गया। यह निजी प्रतिस्पर्धा आरंभ करने के लिए राष्ट्रीयकरण से समाप्त करके एकाधिकार स्थापित करने की दिशा में एक कदम था।
विदेशी विनिमय विनियामक अधिनियम, 1973	कंपनियों में विदेशी इक्विटी पर 40 प्रतिशत की सीमा लगाया गया और यदि उनकी शेयरधारिता अधिक हो तो उन्हें परिचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इससे विदेशी पूंजी एवं प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमित हो गई।	इसे रद्द कर दिया गया और विदेशी व्यापार एवं भुगतान सरल बनाने के लिए इसे विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 द्वारा बदल दिया गया। फेमा के अंतर्गत जब तक विशेष अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती थी, जबकि फेमा के अंतर्गत जब तक विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता था या विदेशी विनिमय बाजार का विकास करने के लिए विनियमित नहीं किया जाता था, तब तक सब कुछ की अनुमति थी।
मारुति लिमिटेड (उद्यमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1980	इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल उद्योग का आधुनिकीकरण करना तथा मोटर वाहनों का अधिक उत्पादन सुनिश्चित करना था।	14 मई, 2007 को सरकार ने दो स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को बाहर किया। सार्वजनिक निर्गमन के माध्यम से उसके मौजूदा शेयरों की बिक्री करके 400 करोड़ रुपए का अधिकार निर्गमन किया गया।
एयर कार्पोरेशन अधिनियम, 1953	एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स का गठन करने के लिए नौ एयर लाइन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया-सुरक्षित, कुशल, पर्याप्त, क्रिफायती और समुचित रूप से संचालित एयर ट्रांसपोर्ट सेवाएं, चाहे वह आंतरिक हो, अंतर्राष्ट्रीय हो आवा दोनों हो, मुहैया कराना उसका उद्देश्य था। एक बाजार संचालित, सेवा उन्मुखी, उपभोक्ता केंद्रित व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ।	इसे एयर कार्पोरेशन (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 1994 द्वारा बदल दिया गया जिसमें निजी ऑपरेटरों को एयर ट्रांसपोर्ट सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति दी गई। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 ने "निजी हवाई अड्डा" पद आरंभ किया और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को निजी व्यवसायियों को दीर्घकालिक पट्टा के माध्यम से इसके मौजूदा हवाई अड्डों का परिचालन एवं प्रबंधन हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकृत किया। प्रशुल्क एवं अन्य प्रभारों को विनियमित करने और नष्पादन मानकों की निगरानी करने के लिए भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ईआरए) अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया।
शहरी भूमि सीमांकन एवं विनियमन अधिनियम, 1976	कुछ लोगों के हाथों में शहरी भूमि केन्द्रित होने से रोकने और जनता की भलाई में सहयोगी होने के लिए शहरी समुदायों में अधिग्रहण के लिए खाली भूमि के अधिग्रहण पर अंतिम सीमा निर्धारित करना।	1999 में निरस्त कर दिया गया।
रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए) 1985	औद्योगिक एवं वित्तीय सुधार बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा बीमार, एवं घाटे में जाने वाली कंपनियों का समय पर पता लगाना तथा निवारण, सुधारात्मक उपचारात्मक एवं अन्य उपायों का शीघ्र निर्धारण। इससे एक कर्जदार अनुकूल अवधि की शुरुआत हुई जिसमें चुककर्ता कर्जदार लम्बी अवधि तक समाधान में विलम्ब कर सकते थे और परिसंपत्तियों के मूल्य से वंचित कर सकते थे।	इस अधिनियम को 1 जनवरी, 2004 को निरस्त कर दिया गया और दिवालियापन एवं क्रणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 को समाप्त करने के लिए बीआईएफआर को 1 दिसंबर, 2016 को समाप्त कर दिया गया।

सारणी 2: परिवर्तन पूरी करने की आवश्यकता: अधिनियम जिन्हें निरस्त/संशोधन करने की आवश्यकता

अधिनियम	बाजार में की गई विकृति	निरस्त/संशोधन की आवश्यकता
फैक्ट्री अधिनियम, 1948	फैक्ट्रियों एवं बंदरगाहों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को विनियमित करता है। यह एक “मुख्य निरीक्षक” को अभियोजन शक्ति प्रदान करता है ऐसे दावों की लागत में वृद्धि करता है और श्रमिकों से पूंजी को दूर करता है। इसका विलय किया जा सकता है।	इसे व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा कोड, 2019 द्वारा सम्मिलित किये जाना प्रस्तावित हुआ है जोकि संसद में है।
अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980	सरकार को उत्पादन नियंत्रण में सक्षम बनाना, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति और वितरण जैसे कि दवाईयां, तेल, केरोसीन, कोयला, लोहा, स्टील और दालें। यह स्टॉक सीमा निर्धारित करती है जिसकी वजह से कृषि बाजार में बड़े पैमाने पर निजी विनिवेश कम होता है।	यह अधिनियम कमी और बाजार से अप्रभावी जुड़ाव के समय में अपने प्रभाव में आए बढ़ते हुए उत्पादन और बाजारों के एकत्रीकरण के साथ ये अधिनियम नियंत्रण के साधन बने तथा इन अत्यावश्यक वस्तुओं के बाजार का समुचित कार्य में बाधक है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), 1965	एफसीआई का निर्माण किसानों के हितों का संरक्षण करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण यातायात, वितरण और खाद्यान्नों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु किया गया था ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कमजोर और अति-संवेदनशील वर्गों को किफायती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।	खाद्यान्न के सुविधाजनक उत्पादन परिदृश्य को देखते हुए 80 मिलियन टनों से अधिक की कुल भंडारण क्षमता के साथ एफसीआई की भूमिका की पुनः जांच की जानी चाहिए। गेहूं, धान और चावल के खरीद संबंधी प्रचालन के कार्य राज्यों को सौंपे जाने चाहिए। एफसीआई को खाद्यान्नों की खरीद से भंडारण, उसकी आवाजाही और अंततः टीपीडीएस में वितरण तक खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में प्रतिस्पर्धा का सृजन करने में प्राथमिक रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे खाद्य प्रबंधन प्रणाली लागतों में कमी आएगी और इससे जुड़ी गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा।
शहरी भूमि सीमाबंदी एवं विनियम अधिनियम, 1976	शहरी समूह में रिक्त पड़ी भूमि के अधिग्रहण पर सीमाबंदी करना ताकि शहरी भूमि को कुछ लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर करना और समान अवसर हेतु एकरूपता लाई जा सके। इसके परिणामस्वरूप, शहरी क्षेत्रों में भूमि बाजारों में विकृति आई, मलिन बस्तुओं में वृद्धि, कृत्रिम भूमि अनुपलब्धता सृजन और भूमि के आसमान धूते मूल्य।	1999 में पुनः अपील

रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BICR) द्वारा रुग्ण एवं संभावित रुग्ण कंपनियों की समय पर पहचान करना और ताकि निवारणीय, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपाय। इसने एक उधारकर्ता समर्थक सत्ता स्थापित की जिसमें चूककर्ता उधारकर्ता समाधान को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं और आस्तियों के मूल्य कम कर सकते हैं।


अधिनियम पर 1 जनवरी 2004 को पुनः अपील की गई थी और ठप्पू को 1 दिसंबर 2016 को समाप्त कर दिया था ताकि बेबाकी एवं दिवालियापन कोड (BICR) इसका स्थान ले सके।

निष्कर्ष

4.43 अर्थव्यवस्था में संसाधनों को आबंटित करने में प्रतियोगात्मक बाजार प्रभावी है। तथापि, चूंकि पूर्ण दक्ष बाजार का विचार दुर्लभ है, सरकारी हस्तक्षेप की कीमत लाभों से अधिक भारी हो सकती है जब “बाजार विफलता” शब्द जोकि अर्थशास्त्री उस स्थिति को बतलाते हैं जहां आबंटित होने वाले संसाधनों में अच्छी तरह से कार्य न कर सके तथा वे गंभीर नहीं हों। बेशक, सरकार जहां “बाजार विफलता” विकट हो (सार के लिए चित्र 25 देखें) स्थितियों में हस्तक्षेप करने के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

4.44 यह अध्याय ऐसे मामले बनाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत से क्षेत्र हैं जहां सरकार बिना आवश्यकता के हस्तक्षेप करती हैं तथा बाजार को उपेक्षित करती है। यह ध्यान दे यह अध्याय इस बात में तर्क नहीं करता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो। इसके बजाय हस्तक्षेप जोकि विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं में उपर्युक्त थे ने परिवर्तित अर्थव्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता को खो दिया हो। अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के ऐसे उदाहरणों को हटाना प्रतियोगिता बाजार को सक्षम बनाएगा तथा जिसके द्वारा निवेश एवं आर्थिक विकास में बढ़ातरी होगी।

चित्र 25 बाजार की ताकत एवं कमजोरी



अध्याय एक दृष्टि में

- भारतीय अर्थव्यवस्था उदाहरणों से भरी हुई है जहां सरकार हस्तक्षेप करती है तथा जिसके द्वारा अनावश्यक रूप से बाजार को अपेक्षित करती है अर्थात ऐसे क्षेत्रों में भी जहां कोई बाजार विफलता नहीं है। यद्यपि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, यह अध्याय सरकारी हस्तक्षेप को दिखाने के लिए चार उदाहरणों को रेखांकित करता है जिसका परिणाम उल्टा हुआ है जोकि वास्तव में प्राप्त करने के इरादों से था।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के अंतर्गत वस्तुओं पर ब्लैनकेट स्टॉक लिमिट का बार-बार तथा अप्रत्याशित लागू करना निजी क्षेत्र, कृषि मूल्य श्रृंखला का ऊपर बढ़ना तथा कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय बाजार के विकास द्वारा भंडार अवसंरचना के सृजन के लिए प्रोत्साहनों को बिगाड़ता है। 2006 की तीसरी तिमाही में दाल पर, तथा 2009 की पहली तिमाही में चीनी तथा सितम्बर, 2019 में स्टॉक लिमिट लागू करने का प्याज के खुदरा एवं थोक कीमतों की अस्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।
- उपभोक्ता कार्य मंत्रालय तथा इससे संबंधित इकाइयों को जरूर जांचना चाहिए कि क्या काल भ्रमित ईसीए जोकि अकाल एवं कमी के बारे में चिन्तित भारत में 1955 में पारित किया गया था क्या वह आज के भारत के लिए प्रासंगिक है। 2019 के दौरान ईसीए के अंतर्गत 76,000 छापे करवाए गए थे। यह मान के चलते हुए कि एक छापे में कम से कम पांच लोग लगे होंगे, काफी प्रशासनिक प्रयास ईसीए को लागू करने में चला गया होगा। तथापि, जिस प्रकार से सजा दर अगाध रूप से कम है तथा छापों का कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं है, ईसीए केवल रेन्ट सीकिंग तथा उत्पीड़न समर्थ बनाने के लिए प्रतीत होता है यह समीक्षा स्पष्ट साक्ष्य प्रदान करती है कि इस काल भ्रमित विधान पर बोझ डालने का मामला मजबूत है।
- डीपीसीओ 2013 के जरिए दवाईयों की कीमतों का विनियमन ने उन समान दवाईयों को जिनकी कीमत विनियमित नहीं की गई थी की तुलना में विनियमित फार्मासिटिकल दवाईयों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी सस्ते फार्मूलेशन की अपेक्षा फार्मूलेशन के लिए बड़ी है तथा उनके लिए जोकि खुदरा दुकानों की अपेक्षा अस्पतालों में बेचा जाता है। ये परिणाम पुनर्वलन देते हैं कि परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत है जिसके लिए डीपीसीओ बना था अर्थात दवाईयों को सस्ता करना।
- चूंकि सरकार इसके विभिन्न विभागों जैसे कि सीजीएसएस, रक्षा, रेलवे इत्यादि के जरिए दवाईयों का बहुत बड़ा विक्रेता है, सरकार अपनी सभी खरीदारियों को एक करने के द्वारा सस्ती दवा प्रदान करने के लिए अधिकांश प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इससे जुड़े विभागों को गैर विरूपनयोग तंत्र को विकसित करने के लिए साक्ष्य को आत्मसात करना चाहिए जिससे कि पारदर्शी तरीके से सरकार की मोलभाव शक्ति का उपयोग किया जा सके।
- खाद्य बाजार में सरकारी नीतियों के कारण, सरकार चावल एवं गेहू के सबसे बड़े उत्पादक की भंडारण कर्ता भंडारकर्ता के रूप में उभरी है। इसने बाजार में तेजी से बढ़ती हुई खाद्य सब्सिडी भार एवं अक्षमता को बढ़ाया है जोकि कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को प्रभावित कर रहा है। इस खाद्य नीति को गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है तथा नकद अंतरण/खाद्य कूपन/स्मार्टकार्ड को, खाद्य पदार्थों की वास्तविक निगरानी तथा वितरण से बदलने की अनुमति देता है।
- राज्यों/केन्द्रों द्वारा दिए गए ऋण माफी का विश्लेषण यह दिखाता है कि जब आंशिक लाभार्थियों की तुलना पूरी माफी वाले लाभार्थियों से की जाती है तो छूट के पश्चात् यह कम उपभोग होता है, कम बचता है, कम निवेश करता है तथा कम उत्पादक होता है। ऋण माफी प्रवाह साख संस्कृति को बाधित करता है तथा बहुत एक जैसे किसानों को औपचारिक ऋण कम करके खतम करता है जिसके द्वारा किसानों को दी गई ऋण माफी का उपदेश लोप हो जाता है।
- इस अध्याय में इस मामले का वर्णन है कि सरकार के प्रत्येक विभाग एवं मंत्रालय को व्यवस्थित रूप से उन क्षेत्रों की जांच करनी चाहिए जहां सरकार अनावश्यक हस्तक्षेप करती है बाजारों को उपेक्षित करती है। यह ध्यान दे कि यह अध्याय इस बात में तर्क नहीं करता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो। इसके बजाए हस्तक्षेप जोकि विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं में उपयुक्त थे ने परिवर्तित अर्थव्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता को खो दिया हो। अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के ऐसे उदाहरणों को हटाना प्रतियोगिता बाजार को सक्षम बनाएगा तथा जिसके द्वारा निवेश एवं आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी।

संदर्भ

- Banerjee, A, and L. Iyer. 2005. "History, institutions, and economic performance: The legacy of colonial land tenure systems in India." *American economic review* 95 (4): 1190–1213.
- Bolton, P, and H. Rosenthal. 2002. "Political intervention in debt contracts." *Journal of Political Economy* 110 (5): 1103–1134.
- Cunningham, S. 2011. *Understanding market failures in an economic development context*. Vol. 4. Pretoria: Mesopartner Press.
- Gine', X, and M. Kanz. 2017. "The economic effects of a borrower bailout: evidence from an emerging market." *The Review of Financial Studies* 31 (5): 1752–1783.
- Gulati, Ashok, Tirtha Chatterjee, and Siraj Hussain. n.d. "Supporting Indian Farmers: Price Support or Direct Income/Investment Support?" *ICRIER* WP 357.
- Hayek, F. A. 1945. "The Use of Knowledge in Society." *The American Economic Review* 35 (4): 519-530.
- High Level Committee Report on Reorienting the Role and Restructuring of Food Corporation of India (FCI)
- Kanz, M. 2016. "What does debt relief do for development? Evidence from India's bailout for rural households." *American Economic Journal: Applied Economics* 8 (4): 66–99.
- Keynes, J M. 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: McMillan.
- Mukherjee , Saptarshi , Krishnamurthy Subramanian, and Prasanna Tantri. 2018. "Borrowers' Distress and Debt Relief: Evidence from a Natural Experiment." *University of Chicago Press* 61 (4): 607-635.
- Phadnis, Ajit , and Aishwarya Gupta. 2019. "The Politics of Farm Loan Waivers: A Comparative Study." *Economic and Political Weekly* 54 (23).
- Sahay, Arvind, and Saravana Jaikumar. 2016. "Does Pharmaceutical Price Regulation Result in Greater Access to Essential Medicines? Study of the impact of drug price control order on sales volume of drugs in India." *IIMA Working Papers WP2016-02-01*, *Indian Institute of Management Ahmedabad, Research and Publication Department*.
- Saini, Shweta, Sameedh Sharma, Ashok Gulati, Siraj Hussain, and Joachim von Braun. 2017. "Indian food and welfare schemes: Scope for digitization towards cash transfers." *SSRN Electronic Journal*.
- Tantri, P L. 2018. "Contagious effects of a political intervention in debt contracts: Evidence using loan-level data." *The Review of Financial Studies* 31 (11): 4556–4592.